

प्रेषक,

राम नेवास,
विशेष सचिव,
उप्रो सरकार
उत्तराखण्ड राज्य सरकार

सेवा में,

✓निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभियान,
उप्रो, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय: शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित धनराशि से द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5696/76/एक/एबीएमबीवीयाई/2016-17, दिनांक 23 मार्च, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-महाराजगंज की न0पा0परि, नौतनवां व महाराजगंज की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 08 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-861/2016/1413/69-1-16-101(अ0सं0-37)/2016 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 द्वारा रु 0 359.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत भर्ती रु 0 179.55 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अयमुक्त की गयी थी। अतएव उक्त परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रु 0 179.55 लाख (रूपये एक करोड़ उन्नासी लाख पचपन हजार मात्र) की लिम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अशीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवरूप का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार लिहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित दूड़ा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित दूड़ा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

*महोदय
कामकाज मार्ग*

क्रमशः.....2

*Tc/186
21/11/12*

6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन इडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आयश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूड़ा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूड़ा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नति लक्ष्यक्रम विभाग, ३० प्र० शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपराल्ट किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपर्योगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपर्योगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी ३१ मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-३७ में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक “२२१७-शहरी विकास-०४-गन्दी वस्तियों का विकास-०५-निर्माण-०४-मुख्यमंत्री नगरीय अन्प विकसित व मिलिन वस्ती विकास योजना-३५-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-८/२०१७/यौ-१-११९०/दस-२०१७-२३१/२०१७, दिनांक ०३.०८.२०१७ तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्तु।

भवदीप
(राम लेखा)
विशेष सचिव।

संख्या-144/2017/430(1)/69-1-2017, तदिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र०, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, महाराजगंज।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-8, 30प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र० शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र०, शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज से,


(अधिकारी)

अनु सचिव।

(घनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम विश्वत के रूप में स्वीकृत योज्य घनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	महराजगंज	न०पा०परि० नौतनवां	वार्ड नं० 12 मो० सिद्धार्थ नगर में राजेश यरुण के घर से रियाज अहमद की जमीन तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	88.33	44.165
2	तदेव	तदेव	वार्ड नं० 12 मो० सिद्धार्थ नगर में शहजाद के मकान से पूर्णमासी हरिजन की जमीन तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	21.63	10.815
3	तदेव	तदेव	वार्ड नं० 02 मो० विस्मिल नगर में श्री चूल्हा के मकान से श्री रामेश्वर की दुकान तक एवं अन्य गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	69.34	34.67
4	तदेव	तदेव	वार्ड नं० 08 मो० मधुबल नगर में श्री मंसुर अली के मकान से श्री विश्वनाथ के मकान के आगे तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	56.03	28.015
5	“ तदेव	तदेव	वार्ड नं० 08 मो० मधुबल नगर में श्री कमरुदीन के मकान से श्री जूगांती देवी के घर के सामने तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	47.67	23.835
6	महराजगंज	न०पा०परि० महराजगंज	वार्ड नं० 11 मो० आजाद नगर में श्री इस्तखार के मकान से श्री इस्महाक के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	26.60	13.30
7	तदेव	तदेव	वार्ड नं० 11 मो० आजाद नगर में श्री विभूति कन्नाँजिया के घर से श्री अब्दुल क्यूम के घर होते हुये श्री सदरे आलम श्री आलम व श्री वाजीद अली लेखपाल के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	25.92	12.96
8	तदेव	तदेव	वार्ड नं० 11 आजाद नगर श्री जगदीश के मकान से श्री धूप के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	23.58	11.79
योग				359.10	179.55

(रुपये एक करोड़ उन्यासी लाख पचपन हजार मात्र)।


 (अधिलालन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।